भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1996
दिनांक 11 मार्च, 2025/ 20 फाल्गुन, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

अग्निशमन सेवाओं का विस्तार

1996. श्री बृजमोहन अग्रवाल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत क्या पहल की गई है;
(ख) छत्तीसगढ़ राज्य में पिछले तीन वर्षों के दैरान इस योजना के अंतर्गत कुल आवंटित और उपयोग की गई राशि कितनी है और निर्धारित लक्ष्य क्या हैं;
(ग) क्या सरकार ने अग्निशमन अवसंरचना और कार्मिक आवश्यकताओं में कमियों के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इस योजना के अंतर्गत प्रतिक्रिया समय और सेवा प्रदायगी के लिए कोई मानक निर्धारित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या इस योजना के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता का मुल्यांकन करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता को समझते हुए, पंद्रहवें वित्त आयोग ने राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 5000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण वित्त पोषण विंडो से दिनांक 04.07.2023 को "राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना" शुरू की है, जिसका कुल केंद्रीय परिव्यय 5,000 करोड़ रुपये है। विस्तृत योजना https://www.mha.gov.in/en/commoncontent/policies-guidelines पर उपलब्ध है।

योजना के तहत छत्तीसगढ़ राज्य को 147.745 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें से 33.24 करोड़ रुपए की पहली किस्त पहले ही जारी की जा चुकी है। योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में छत्तीसगढ़ राज्य में आधुनिक अग्निशमन उपकरणों जैसे फायर टेंडर, हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर, सेमी ऑटोमेटिक डिफाइब्रिलेटर, स्मोक एक्सट्रैक्टर आदि के साथ 12 नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना, साथ ही अग्निशमन कर्मियों के क्षमता निर्माण प्रशिक्षण और राज्य के अग्निशमन सेवा मुख्यालय को मजबूत करना शामिल है।

(ग): पंद्रहवें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि देश में अग्निशमन सेवाओं के पास संसाधनों की कमी है और वे आबादी को पर्याप्त अग्नि सुरक्षा कवर प्रदान करने के लिए सुसज्जित नहीं हैं। रिपोर्ट में उल्लेखित अनुसार देश में अग्निशमन सेवाओं की कमी की सीमा निम्नानुसार है:

- अग्निशमन केंद्र - 97.54%;
- अग्निशमन और बचाव वाहन - 80.04%; और
- अग्निशमन कर्मी - 96.28%

(घ) एवं (ङ): अग्निशमन सेवाएं राज्य का विषय है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (ब) के तहत बारहवीं अनुसूची में निगम कार्यों के रूप में शामिल किया गया है। अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं का सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अग्निशमन सेवाओं के संबंध में केंद्र सरकार की भूमिका केवल सलाहकार की है।

योजना के तहत, राज्यों को अपने-अपने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियाँ करने की अनुमति है।

(i) नए फायर स्टेशनों की स्थापना, राज्य प्रशिक्षण केंद्रों को मजबूत करना और आग से बचाव के उपायों, जागरूकता कार्यक्रम, फायरफाइटर, स्वयंसेवकों और समुदाय की क्षमता निर्माण द्वारा अग्निशमन सेवाओं का विस्तार। इस गतिविधि के लिए 35% निधि आवंटित की गई है। जिसमें से 5% क्षमता निर्माण के लिए है।

(ii) आधुनिक अग्निशमन उपकरणों की खरीद और राज्य मुख्यालयों और शहरी अग्निशमन स्टेशनों को मजबूत करके अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण। खरीदे जाने वाले उपकरणों में हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, टर्नटेबल सीढ़ी सहित अन्य शामिल हैं, जैसा कि 4 जुलाई, 2023 की योजना दिशानिर्देशों के साथ राज्यों को प्रसारित सांकेतिक सूची में दिया गया है। अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 50% निधि आवंटित की गई है।

(iii) किसी भी राज्य विशिष्ट मांग के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत न केवल राज्य अतिरिक्त वित्तीय सहायता की आवश्यकता वाली अपनी चल रही परियोजनाओं को टॉप-अप करने के लिए अपनी मांग उठा सकते हैं, बल्कि राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें लचीलापन भी दिया गया है। निधि का 15% राज्य विशिष्ट मांग के लिए आवंटित किया गया है।

(iv) योजना के तहत 5000 करोड़ रुपये की कुल आवंटित निधि में से 500 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचे-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए भी रखी गई है।

योजना के अंतर्गत राज्यों को दिनांक 31.03.2026 तक परिकल्पित गतिविधियों को क्रियान्वित करना है।

अब तक, योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए बीस (20) राज्यों के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। परियोजना की पहली किस्त के लिए अठारह (18) राज्यों को कुल 757.39 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं। योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

योजना के अंतर्गत, धनराशि जारी करने से पहले, राज्यों को धनराशि के उचित उपयोग और दिशानिर्देशों के पालन के लिए महानिदेशक (एफएस, सीडी और एचजी) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है।

इस योजना में महानिदेशालय (अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक) में एक परियोजना निगरानी इकाई का प्रावधान है जो राज्यवार योजना को अंतिम रूप देने के साथ-साथ सलाह देने में राज्य की मदद करती है और सभी राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी करेगी।

***

लोक सभा अतारांकित प्र.सं. 1996, दिनांक 11.03.2025

अनुलग्नक

लोक सभा के दिनांक 11.03.2025 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1996 के भाग (घ) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत अनुमोदित प्रस्तावों का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	राज्यों की सूची	केंद्रीय हिस्सा	पहली किस्त
1	आंध्र प्रदेश	252.86	56.90
2	मणिपुर	45.00	12.15
3	मेघालय	44.37	11.98
4	तेलंगाना	190.14	42.78
5	उत्तर प्रदेश	768.67	172.95
6	हिमाचल प्रदेश	65.33	17.64
7	पंजाब	131.56	29.60
8	सिक्किम	32.25	8.71
9	त्रिपुरा	42.36	11.44
10	उत्तराखंड	78.89	21.30
11	असम	107.47	29.02
12	कर्नाटक	329.90	74.23
13	मिजोरम	40.00	10.80
14	तमिलनाडु	373.27	83.99
15	छत्तीसगढ	147.745	33.24
16	नागालैंड	40.05	10.81
17	ओडिशा	200.384	45.09
18	पश्चिम बंगाल	376.76	84.77
19	अरुणाचल प्रदेश	63.95	-
20	गोवा	42.16	-

***